

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

प्रेस नोट

दिनांक: 24.11.2025

साक्षात्कार पत्र के संबंध में

आयोग द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएँ संयुक्त प्रतियोगी (मुख्य) परीक्षा, 2024 के पदों हेतु प्रथम चरण के साक्षात्कार दिनांक 01.12.2025 से 12.12.2025 तक आयोजित किये जायेंगे। प्रथम चरण में सम्मिलित अभ्यर्थियों के **साक्षात्कार पत्र** आयोग की वेबसाइट <https://rpsc.rajasthan.gov.in> पर अपलोड कर दिये गये हैं। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक से Interview Letter डाउनलोड कर साक्षात्कार में उपस्थित होंगे।

साक्षात्कार के समय विस्तृत आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने वाले दस्तावेजों के संबंध में आयोग द्वारा **“आवश्यक दिशा-निर्देश”** भी जारी किये गये हैं जो कि प्रेस-नोट के साथ-साथ आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। अभ्यर्थी उक्त दिशा-निर्देशों का भली-भांति अवलोकन कर आवश्यक कार्यवाही करें।

साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी ऑनलाईन भरे गये विस्तृत आवेदन पत्र, अटेस्टेशन फार्म एवं सेवा प्राथमिकता क्रम की दो प्रतियां एवं संलग्नक दस्तावेजों की एक प्रति स्वहस्ताक्षरित (मूल दस्तावेजों सहित) के साक्षात्कार के समय आयोग में प्रस्तुत करें। साक्षात्कार पत्र आयोग द्वारा ऑफलाईन रूप से नहीं भेजे जायेंगे और ना ही ऑफलाईन विस्तृत आवेदन पत्र और सेवा प्राथमिकता क्रम स्वीकार किये जायेंगे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(रामनिवास मेहता)
सचिव

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विस्तृत आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश :-

1. ऑनलाईन भरा गया विस्तृत आवेदन पत्र मय अटेस्टेशन फॉर्म (स्वहस्ताक्षरित फोटो व राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर सहित) और सेवा प्राथमिकता क्रम सूची दो प्रतियों में संलग्न करें।
2. समस्त मूल दस्तावेज साथ लाने हैं। विस्तृत आवेदन पत्र के ऑनलाईन शुल्क रूप में जमा 50/- रु. की रसीद भी संलग्न करें तथा विस्तृत आवेदन पत्र व Attestation Form की 02 प्रतियों में यथास्थान पर फोटो चस्पा करते हुए 03 अतिरिक्त फोटो साथ लावें।
3. दस्तावेज के रूप में सैकण्डरी/सी.सैकण्डरी/स्नातक/स्नातकोत्तर व अन्य शैक्षणिक योग्यता की अंकतालिकाएँ और सर्टिफिकेट/उपाधि संलग्न करें।
4. अंतिम शैक्षणिक संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र (नियमित अध्ययन का) साथ लावें।
5. यदि अभ्यर्थी सेवारत है तो सेवा प्रमाण पत्र (एक से अधिक सेवा होने पर प्रत्येक सेवा एवं उसकी अवधि का स्पष्ट अंकन सहित) और एन.ओ.सी. संलग्न करें।
6. निम्नांकित वर्ग में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी विशेष ध्यान रखें:-
 - A. **NGE/RG-** इस वर्ग में आवेदित अभ्यर्थी नियुक्ति दिनांक से वर्तमान तक की सेवा का सेवा प्रमाण पत्र और विभागीय एन.ओ.सी. भी संलग्न करें।
 - B. **SA-** अनुसूचित क्षेत्र का प्रमाण-पत्र कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार अधिसूचना के पश्चात् जारी हुआ प्रस्तुत करें।
 - C. **EX-** भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अभ्यर्थी एक्स-सर्विसमेन की डायरी, पेंशन/पी.पी.ओ कार्ड संलग्न करें :
 - I. यदि राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत नहीं हैं, तो दोहरे लाभ प्राप्त नहीं करने का शपथ पत्र संलग्न करें।
 - II. सेना सेवा में रहते हुए एन.ओ.सी. के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी एन.ओ.सी. संलग्न करें।
 - III. यदि सेना से सेवानिवृत्ति के उपरान्त कहीं सेवारत है तो विभाग द्वारा जारी सेवा प्रमाण पत्र, एन.ओ.सी. और सेवा में कार्यग्रहण के समय आर.ए.एस. परीक्षा-2024 में आवेदन किये जाने की सूचना का स्पष्ट प्रमाण संलग्न करें।
 - D. **DC-** इस वर्ग के अभ्यर्थी नियुक्ति दिनांक से वर्तमान तक की सेवा का सेवा प्रमाण पत्र और एनओसी भी संलग्न करें।
 - E. **DV-** इस वर्ग के अभ्यर्थी तलाक की डिक्री एवं पुनर्विवाह (आवेदन की तिथि तक) नहीं किये जाने संबंधी शपथ पत्र संलग्न करें।
 - F. **WD-** इस वर्ग के अभ्यर्थी पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, पति से लिंक दस्तावेज-मूल निवास/बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र/राशनकार्ड अथवा अन्य कोई प्रामाणिक आई.डी. संलग्न करें जिसमें पति का नाम अंकित हो। पुनर्विवाह (आवेदन की तिथि तक) नहीं किये जाने संबंधी शपथ पत्र संलग्न करें।
 - G. **SC/ST/OBC/MBC/EWS-** कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 20.01.2022 व 17.10.2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने हेतु पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण-पत्र ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि 18.10.2024 तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा परन्तु यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की अन्तिम तिथि तक जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा अन्तिम तिथि के पश्चात् जारी किया हुआ प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि "वह आवेदन की अन्तिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था लेकिन प्रमाण पत्र नहीं बनाया गया।"
7. अभ्यर्थी आवेदन पत्र में अंकित स्वयं/पिता/माता का नाम और शैक्षणिक दस्तावेजों एवं अन्य प्रमाण पत्रों में अंकित नाम का मिलान कर लें। अभ्यर्थियों के स्वयं/पिता/माता के नाम में अन्तर होने पर निम्नानुसार कार्यवाही करें :
 - (क) स्वयं के नाम में अन्तर/सरनेम में अन्तर हेतु गजट नोटिफिकेशन की प्रति।
 - (ख) स्वयं के नाम में वर्तनी अशुद्धि/माता एवं पिता के नाम में अन्तर/उपनाम में अन्तर/त्रुटि की स्थिति में शपथ-पत्र प्रस्तुत करें।
8. इसके अतिरिक्त साक्षात्कार पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं की पालना भी आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें।